

3. निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के श्रोत भी सम्मिलित हैं ।	निर्णय लिये जाने योग्य कोई प्रकरण उपस्थित होने पर पहले सम्बंधित पटल सहायक(लिपिक) द्वारा अद्यतन नियमों के परिप्रेक्ष्य में उसका परीक्षण करके अपनी संस्तुति/प्रस्ताव पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाता है । तत्पश्चात् पर्यवेक्षकीय कर्मचारी (वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक/कार्यालय अधीक्षक) द्वारा भी परीक्षण कर उस पर अपना मन्तव्य अंकित किया जाता है। तत्पश्चात् निर्णय लेने की श्रृंखला में सम्मिलित अन्य मध्यवर्ती कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भी परीक्षण कर अपना मन्तव्य दिया जाता है और अन्ततोगत्वा निर्णय लेने वाले स्तर(कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष) द्वारा निर्णय पत्रावली में लिया जाता है । उसके पश्चात् यथा आवश्यकता तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाता है ।
---	--